संख्या- 84 /486/23-10-2023-

78(सेतु)/2019

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपद मीरजापुर में लुम्बिनी दुद्धी राज्य मार्ग संख्या-5 के किमी0-310-11 में गंगा नदी पर निर्मित शास्त्री सेतु के मरम्मत के कार्य, लागत रू0 748.11 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति व उसके सापेक्ष रू0 2.00 लाख मात्र के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-523/प्रा0 आगणन-मीरजापुर (किमी0-310-311 शास्त्री सेतु)/22-23 दि0 23.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मीरजापुर में लुम्बिनी दुद्धी राज्य मार्ग संख्या-5 के किमी0 -310-11 में गंगा नदी पर निर्मित शास्त्री सेतु के मरम्मत हेतु उपलब्ध कराये गये लागत रू0 748.11 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति व उसके सापेक्ष रू0 2.00 लाख मात्र (रू0 दो लाख मात्र) के आवंटन हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित तालिकानुसार तथा अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद कार्य का विवरण	परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन
1	2	3	4
1	जनपद मीरजापुर में लुम्बिनी दुद्धी राज्य मार्ग संख्या-5 के किमी0 -310-11 में गंगा नदी पर निर्मित शास्त्री सेतु के मरम्मत के कार्य हेतु	748.11	2.00
	योग-	748.11	2.00

रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून,2022 एवं यथा संशोधित

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA

शासनादेश संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक-04 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

क्रमश.....

(2) शासनादेश सं0-42/2022/212/23-10-21-10(ब)/2017 दिनांक 21.04.2022 एवं शासनादेश सं0-69/2022/683/001/683/23-10-22-10(ब)-2017 दिनांक 17.08.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें- 800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण एवं मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00 करोड़ में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या- 84/2023/486/23-10-2023 -तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
3- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, मीरजापुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
7- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA